ISSN : 2250-1193

Year 5, No. 6
July-September, 2016

अनुकृति

An International Refereed Research Journal

Scanned with OKEN Scanner

ISSN : 2250-1193

Reg. No. 694/2009-10

अनुकृति

An International Refereed Research Journal

वर्ष–5, अंक–6

जुलाई–सितम्बर, 2015

प्रधान सम्पादक

प्रो. विजय बहादुर सिंह

हिन्दी विभाग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

वाराणसी

सम्पादक

डॉ. रामसुधार सिंह

पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग

उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय

वाराणसी

प्रकाशक

सृजन समिति प्रकाशन

वाराणसी (उ.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

⇨	1857 की अमर सेनानी अवध की बेगम : हजरत महल निकहत परवीन	215-218
⇨	महिला स्वास्थ्य एव पोषण का भारतीय संदर्भ में स्थितिपरक विश्लेषण नीतू सिंह	219-222
⇨	अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर आधुनिकीकरण का प्रभाव प्रतिभा	223-228
⇨	भारतीय लोक संगीत में स्वर वाद्य एवं स्वर वाद्यों पर लोक धुनों का प्रयोग प्रीति सिंह	229-230
⇨	मानवाधिकार और शिक्षा राजीव त्रिपाठी	231-234
⇨	योग विज्ञान और कुण्डलिनी–शक्ति संदीप कुमार	235-238
⇨	भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान सन्तोष कुमार	239-242
⇨	स्त्री सशक्तिकरण – सशक्तता की कसौटियाँ सरिता कुमारी	243-246
⇨	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मिथक : एक ऐतिहासिक मूल्यांकन शिवेन्द्र कुमार	247-250
⇨	उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था : एक मूल्यांकन सुरेन्द्र पासवान	251-252
⇨	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में उग्रवाद के उदय के कारणों का ऐतिहासिक विश्लेषण विजय पासवान	253-258

International Refereed Research Journal), वर्ष–5, अंक–6, जुलाई–सितम्बर 2015 ISSN : 2250-1193

अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर आधुनिकीकरण का प्रभाव

प्रतिमा*

सम्पूर्ण सामाजिक जगत में सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक अथवा प्रजातीय आधारों पर स्तरीकरण की व्यवस्था पायी जाती है। सामाजिक स्तरीकरण वह व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत समाज अनेक उच्च एवं निम्न समूहों में विभक्त हो जाता है। सामाजिक स्तरीकरण द्वारा समाज विभिन्न उच्च एवं निम्न समूहों में विभाजित होता है तथा ये समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सामाजिक एकता को बनाये रखते हुए समाज में स्थिरता कायम रखते हैं। परम्परागत भारतीय समाज इसी दृष्टिकोण पर आधारित था। ज्ञान, रक्षा, जीविका तथा सेवा मनुष्य की ये चार स्वाभाविक इच्छाएं हैं, इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को विविध उपजाति श्रेणी क्रम में रखा गया था। कालान्तर में वर्ण व्यवस्था का रूप जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया और व्यवसाय पर आधारित प्राचीन जाति व्यवस्था में शुद्धता और अशुद्धता की परिकल्पना के आधार पर बन्द समूहों का निर्माण हुआ जो अनेक प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं, असमानताओं तथा निर्योग्यताओं से ग्रसित रहा।

इस प्रकार जातिगत संस्तरण के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ जिसके अन्तर्गत निम्न जातियों के सदस्यों को मानवोचित अधिकारों से वंचित करके समाज में निम्न स्थान दिया गया और उन्हें अस्पृश्य मानकर अनेक प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अस्पृश्य शब्द छुआछूत व भेदभाव की भावना का प्रतिरूप है जिसके आधार पर अस्पृश्य जाति का जन्म हुआ।

डॉ0 के0एन0 शर्मा के अनुसार "अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाये और पवित्र करने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े।"

मजूमदार ने लिखा है कि "अस्पृश्य जाति वे हैं जो बहुत सी सामाजिक व राजनैतिक निर्योग्यताओं को परम्परा अथवा धर्म के द्वारा निर्धारित करके सामाजिक रूप से उच्च जातियों पर लागू किया जाये।"

इस प्रकार अस्पृश्यता उस परम्परागत मनोभावों तथा व्यवहार प्रतिमानों का द्योतक है जिसके अनुसार इनके सदस्य अछूत या न छूने योग्य हैं और इसलिए उनसे एक सामाजिक दूरी बनाये रखना न केवल उच्च जातियों का कार्य है, अपितु अस्पृश्य जातियों का भी कर्तव्य है कि वे उच्च जाति के सदस्यों से दूर रहें और उन्हें न छुएं, इसलिए उनके साथ उठना–बैठना, खाना–पीना या अन्य सम्बन्ध रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, न ही मन्दिर में प्रवेश करने का अधिकार दिया जाता था। यहां तक कि उच्च जाति के लोग जिस तालाब, कुएं या नदी से पानी लेते थे, वहां जाने तक की भी मनाही थी।

ब्रिटिश काल में अस्पृश्यों तथा अछूतों को बहुत समय तक दलित वर्ग कहा जाता रहा। इस नाम पर अधिकतर व्यक्तियों द्वारा आपत्ति किये जाने पर सन् 1931 में असम के जनगणना आयुक्त ने इन्हें बाहरी जाति के नाम से सम्बोधित किया है। सन् 1935 में साइमन कमीशन ने अस्पृश्य जाति के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान की धारा 341 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके प्रत्येक राज्य की अनुसूचित जातियों की घोषणा करे। इन जातियों को अधिक सम्मान देने के लिए गांधी जी ने इन्हें हरिजन कहना आरम्भ किया था, वर्तमान में उन्हें हरिजन या अनुसूचित जाति कहा जाता है।

डॉ0 डी0एन0 मजूमदार के अनुसार, अनुसूचित जातियां वे जातियां हैं, जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं जिनमें से बहुत सी निर्योग्यताएं उच्च जातियों के द्वारा परम्परागत रूप से और सामाजिक रूप से निर्धारित की गयी हैं। इनके सदस्यों में महिलाओं की दशा और दयनीय रही। वैसे भी भारत एक पुरुष प्रधान देश है जहां लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में भेद किया जाता है। लिंग भेद के आधार पर स्त्री सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक निर्योग्यताओं का शिकार रही है परन्तु अनुसूचित जाति की महिलाएं अधिक उत्पीडन का शिकार थीं। उच्च जाति के सदस्यों के द्वारा इनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। अतः उनका लम्बे समय तक शोषण किया गया परन्तु परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है। विश्व का कोई ऐसा समाज नहीं जिसमें परिवर्तन नहीं पाया जाता है। समस्त जड़ एवं चेतन पदार्थों में

Scanned with OKEN Scanner

परिवर्तन पाया जाता है। इस परिवर्तन से अनुसूचित जातियां भी अछूती नहीं रही। जैसे–जैसे परम्परागत समाज आधुनिक समाज की ओर अग्रसर होता गया, वैसे–वैसे उनमें परिवर्तन होता रहा है।

शोध का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार है–

1. अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि को ज्ञात करना।
2. अनुसूचित जाति की महिलाओं की पारिवारिक स्थिति एवं उनकी सामाजिक अन्तःक्रियाओं पर आधुनिकीकरण के प्रभाव को ज्ञात करना।
3. अनुसूचित जाति की महिलाओं में व्यवसायिक गतिशीलता एवं आर्थिक स्थिति पर आधुनिकीकरण के प्रभाव को ज्ञात करना।

शोध की उपकल्पना

प्रस्तुत शोध में जिन उपकल्पनाओं का प्रयोग किया गया है। वे निम्न हैं–

1. परम्परागत रूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं की जो सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति थी, उनमें आधुनिकीकरण के फलस्वरूप सुधार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है।
2. अनुसूचित जाति की महिलाओं में आधुनिकीकरण के फलस्वरूप रहन–सहन के स्तर में सुधार हुआ और उनका सम्पर्क विभिन्न जातियों की महिला सदस्यों के साथ हुआ।
3. अनुसूचित जाति की महिलाओं में आधुनिकीकरण के फलस्वरूप व्यावसायिक चेतना उत्पन्न हुई, व्यावसायिक गतिशीलता का उनके आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

शोध अभिकल्प

प्रस्तुत सन्दर्भित शोध प्रारूप अन्वेषणात्मक और वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प के रूप में विन्यसित है। अनुसंधान अभिकल्प के द्वारा विषय अथवा समस्या के सम्बन्ध में यथार्थ तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। अनुसंधान विषय तथा समस्या से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचनाएं इस अभिकल्प के द्वारा प्राप्त की गयी है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित जौनपुर जनपद के शाहगंज तहसील के विकासखण्ड सोंधी पर आधारित है।

तथ्य संकलन के स्रोत

तथ्य संकलन के लिए प्राथमिक एवं द्वैतीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है।

प्राथमिक स्रोत

साक्षात्कार अनुसूची

शोध–प्रबन्ध में आंकड़े एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है जिसमें अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्नों को एकत्र किया गया। साक्षात्कार अनुसूची का पूर्व परीक्षण भी किया गया है। प्रश्नों को आवश्यकतानुसार विभिन्न श्रेणियों तथा उपश्रेणियों में विभक्त किया गया है।

साक्षात्कार

उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनके जीवन पर आधुनिकीकरण के अन्तर्गत प्रभावों को जानने का प्रयास किया गया है और तथ्यों के तह तक पहुंचने का प्रयास किया गया है।

द्वैतीयक स्रोत

इसके अन्तर्गत जनगणना पुस्तिका, विषय से सम्बन्धित पूर्ववर्ती अध्ययन, शोध ग्रन्थ, पत्र, पत्रिका, पुस्तकों, लेखों तथा अन्य स्रोतों का प्रयोग किया गया है।

तथ्यों के प्रस्तुतीकरण में प्रश्नों से सम्बन्धित उत्तरों एवं अवलोकन से प्राप्त तथ्यों का वैज्ञानिक रूप से उपयोगी प्रणालियों का प्रयोग किया गया है।

प्रतिदर्श का चयन

इस अध्ययन में व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिदर्श प्रविधि के आधार पर वास्तविक उत्तरदात्रियों का चयन किया गया है। प्रस्तावित अध्ययन के रूप में जौनपुर जनपद के शाहगंज तहसील के सोंधी ब्लाक को लिया

Scanned with OKEN Scanner

... एक शोधार्थिनी के लिए यह सम्भव नहीं है कि सम्पूर्ण समग्र का अध्ययन कर सके इसलिए ... जाति की 400 महिलाओं का अध्ययन प्रतिदर्श के रूप में किया गया है।

... अध्ययन के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर अनुसूचित जाति की महिलाओं में ... के प्रभाव को विश्लेषित किया गया है–

सारणी–1 : शैक्षणिक स्थिति के आधार पर उत्तरदात्रियों का वर्गीकरण

शैक्षणिक स्थिति	उत्तरदात्रियां	
	आवृत्ति	प्रतिशत
निरक्षर	175	43.75
मात्र साक्षर	50	12.50
प्राथमिक	75	18.75
जूनियर हाईस्कूल	36	09.00
हाईस्कूल	28	07.00
इण्टरमीडिएट	22	05.50
उच्च शिक्षा	14	03.50
योग	400	100.00

सारणी में दत्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 175 (43.75 प्रतिशत) उत्तरदात्रिया निरक्षर हैं। 50 (12.50 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां मात्र साक्षर पायी गयी हैं। 75 (18.75 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां प्राथमिक शिक्षित, 36 (09.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां जूनियर हाईस्कूल, 28 (07.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां हाईस्कूल, 22 (05.50 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां इण्टरमीडिएट शिक्षित और 14 (03.50 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त पायी गयी हैं।

अतः समंकों से स्पष्ट है कि अध्ययन के अन्तर्गत अधिकांश उत्तरदात्रियां प्राथमिक स्तर तक और मात्र साक्षर हैं। साथ ही निरक्षर उत्तरदात्रियों का भी बाहुल्य है।

सारणी–2 : व्यवसाय के आधार पर उत्तरदात्रियों का वर्गीकरण

व्यवसाय	उत्तरदात्रियां	
	आवृत्ति	प्रतिशत
कृषि मजदूरी	135	33.75
दस्तकारी	80	20.00
नौकरी	37	09.25
अन्य मजदूरी	75	18.75
स्वव्यापार/घरेलू कार्य	60	15.00
अन्य	13	03.75
योग	400	100.00

सारणी में दत्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 133 (33.75 प्रतिशत) उत्तरदात्रिया कृषि कार्य में संलग्न हैं। 80 (20.00 प्रतिशत) दस्तकारी कार्यों में, 75 (18.75 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों में मजदूरी, 60 (15.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां स्वव्यापार एवं घरेलू कार्यों में एवं 37 (09.25 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां नौकरी करने वाली पायी गयीं। 13 (03.25 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां ऐसी हैं जो किसी अन्य प्रकार के कार्यों को करती हैं।

Scanned with OKEN Scanner

तथ्यत: स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदात्रियां कृषि कार्यों के व्यवसाय से सम्बन्धित है। दस्तकारी एवं अन्य मजदूरी से सलग्न उत्तरदात्रियां भी महत्वपूर्ण है।

सारणी–3 : परिवार का व्यवसाय एवं उत्तरदात्रियां

परिवार का व्यवसाय	उत्तरदात्रियां	
	आवृत्ति	प्रतिशत
जातिगत व्यवसाय	154	38.50
जाति के बाहर का व्यवसाय	246	61.50
योग	400	100.00

सारणी में दत्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 154 (38.50 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के परिवार जातिगत व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। जबकि 246 (61.50 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के परिवार जातिगत व्यवसाय के बाहर व्यवसाय करने वाले हैं।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि अनुसूचित जातियां व्यवसाय के सम्बन्ध में गतिशील हैं। अधिकांश उत्तरदात्रियों के परिवार में गैरजातिगत व्यवसाय होते है।

सारणी–4 : जाति के बाहर व्यवसाय करने की स्थिति एवं उत्तरदात्रियां

N = 246

स्थिति	उत्तरदात्रियां	
	आवृत्ति	प्रतिशत
अधिक पूंजी से	24	09.76
पुराने जातिगत नियम टूटने से	120	48.78
सरकारी कार्यक्रमों से	30	12.20
शिक्षा से	57	23.17
आरक्षण से	10	04.06
अन्य	05	02.03
योग	246	100.00

सारणी में दत्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिन उत्तरदात्रियों के परिवार का व्यवसाय गैरजातिगत है उनमें से अधिकांश 120 (48.78 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह मानती हैं कि पुराने जातिगत नियम टूटने से उनके परिवार क अधिकांश सदस्य गैर जातिगत व्यवसाय को करते हैं। 57 (23.17 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां शिक्षा को, 30 (12.20 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां सरकारी कार्यक्रमों को, 24 (09.76 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां अधिक पूंजी को, 10 (04.06 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां आरक्षरण को एवं 05 (02.03 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां किसी अन्य को जिम्मेदार मानती हैं।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदात्रियां यह मानती हैं कि पुराने जातिगत नियम टूटने से उनके परिवार के अधिकांश सदस्य गैरजातिगत व्यवसाय करते हैं।

सारणी–5 : परिवार के महिला सदस्यों के कार्य एवं उत्तरदात्रियां

कार्य	उत्तरदात्रियां	
	आवृत्ति	प्रतिशत
घरेलू कृषि कार्य	75	18.75
कृषि मजदूरी	95	23.75

Scanned with OKEN Scanner

..., वर्ष-5, अंक-6, जुलाई-सितम्बर 2015 ISSN : 2250-1193

राजगीर मजदूरी	30	07.50
दस्तकारी	45	11.25
सिलाई	20	05.00
दुकानदारी	60	15.00
अन्य	35	08.75
योग	400	100.00

सारणी में दत्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 120 (23.75) उत्तरदात्रियों के परिवार में महिलायें अधिकांशतः कृषि मजदूरी करती हैं और 75 (18.75 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के परिवार में घरेलू कृषि कार्य के रूप में महिलाओं को संलग्न पाया गया। 60 (15.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के परिवारों में अधिकांशतः महिलायें दुकानदारी, 45 (11.25 प्रतिशत) परिवारों में महिलायें दस्तकारी और 20 (05.00 प्रतिशत) परिवारों में सिलाई करती हैं। 35 (08.75 प्रतिशत) परिवारों में महिलायें किसी भी अन्य प्रकार के कार्यों में संलग्न पायी गयीं।

अतः तथ्यतः स्पष्ट है कि अधिकांश परिवारों में महिलायें घरेलू कृषि कार्य और कृषि मजदूरी के रूप में कार्य करती हैं।

सारणी–6 : आर्थिक कार्य करने के सम्बन्ध में उत्तरदात्रियों की प्रकृति

प्रकृति	उत्तरदात्रियां	
	आवृत्ति	प्रतिशत
अपनी स्वेच्छा से	255	63.75
दबाव से	145	36.25
योग	400	100.00

सारणी में दत्त आंकड़ों के परिकलन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 255 (63.75) उत्तरदात्रियां अपनी स्वेच्छा से आर्थिक कार्य करती हैं। जबकि 145 (36.25 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां दबाव में आकर कार्य करती हैं। अतः तथ्यतः स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदात्रियां अपनी स्वेच्छा से आर्थिक कार्य करती हैं।

इसी प्रकार से जो उत्तरदात्रियां दबाव में आर्थिक कार्य करती हैं उसके पीछे किस प्रकार का दबाव होता है, विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। प्राप्त तथ्यों को अग्रांकित सारणी में प्रस्तुत किया गया है–

सारणी–6 : आर्थिक कार्य करने के पीछे दबाव एवं उत्तरदात्रियां

N = 145

दबाव	उत्तरदात्रियां	
	आवृत्ति	प्रतिशत
पति का	90	62.07
पुत्र का	15	10.34
सास–श्वसुर का	30	20.69
अन्य सदस्य द्वारा	10	06.90
योग	145	100.00

Scanned with OKEN Scanner

सारणी में दत्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जो उत्तरदात्रियां दबाव में आकर आर्थिक कार्यों को करती है उनमें से अधिकांश 90 (62.70 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां अपने पति के दबाव में होती हैं। 30 (20.69 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां अपने सास–श्वसुर, 15 (10.34 प्रतिशत) अपने पुत्र एवं 10 (06.90 प्रतिशत) अपने परिवार के अन्य सदस्यों के दबाव में कार्य करती हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदात्रियां अपने पति के दबाव में आर्थिक कार्यों को करती हैं।

निष्कर्ष

प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं में आर्थिक कार्यों के प्रति जागरुकता आयी है। महिलायें अपने परम्परागत व्यवसाय एवं कार्यों से पृथक होकर अन्य गैर जातिगत व्यवसाय में संलग्न हो रही हैं। साथ ही साथ इन जातियों के परिवार के अन्य सदस्यों में जागरुकता के तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं।

अतः प्रस्तुत अध्ययन अनुसूचित जाति की महिलाओं में आधुनिकीकरण के सकारात्मक परिणाम को परिलक्षित करते हैं।

संदर्भ :

1. प्रो0 एस0सी0 अरोड़ा (2008) : राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन की परम्परा, शताब्दी विशेषांक, अंक 2, समाज विज्ञान की शोध पत्रिका, प्रकाशक : समाज विज्ञान संस्थान, चांदपुर, बिजनौर, उ0प्र0, पृ0 31–32.
2. कु0 शिखा श्रीवास्तव (2010) : महिला कृषि श्रमिकों की पारिवारिक निर्णयों की भूमिका, प्रकाशक : राधाकमल मुकर्जी, चिन्तन की परम्परा, सामाजिक विज्ञानों की अन्तरविज्ञानी शोध पत्रिका, समाज विज्ञान विकास संस्थान, चांदपुर, बिजनौर, उ0प्र0, पृ0 73–74.
3. मालादी इन सरस्वती मिश्रा (1988) : भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति, शारदा पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली।
4. Srinivas, M.N. (1966) : Social Change in Modern India, University of California Press, Bekeley.
5. Durkhim, E. (1947) : Elementry Forms of Religious Life Translated by J.W. Swain Free Press Glencoe. pp. 41.
6. Srinivas, M.N. (1956) : A Noton Sanskritization and Westernization for Eastern Qurterly, Vol. 15, pp. 481-496.

Scanned with OKEN Scanner